

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

केस संख्या

जन्मतिथि में संशोधन हेतु आवेदन-पत्र।

फार्म भरने से पहले कृपया पीछे दिए गये निर्देश पढ़िये।

- कोई भी फार्म बोर्ड में निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के बिना स्वीकृत नहीं होगा।
- मिडल/मैट्रिक/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी का प्रमाण-पत्र मूल रूप से इस फार्म के साथ सलग्न होना चाहिए।

- नाम
- पुरुष/स्त्री
- पिता का नाम
- इस बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई मिडल/मैट्रिक/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा का विवरण:
क) मिडल अनुक्रमांक वर्ष एवं सत्र
ख) मैट्रिक/सैकेण्डरी अनुक्रमांक वर्ष एवं सत्र
ग) सीनियर सैकेण्डरी अनुक्रमांक वर्ष एवं सत्र
- संस्था का नाम जिसके माध्यम से मिडल/मैट्रिक/सैकेण्डरी सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ/हुई
- विद्यालय का नाम जिसमें सर्वप्रथम प्रवेश लिया गया
- कॉलम न. 06 में उल्लेखित विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि एवं वर्ष
क) तिथि
ख) वर्ष
- उन दूसरे विद्यालयों/संस्थाओं के नाम जिनमें मैट्रिक/सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले प्रवेश लिया :

	विद्यालय/संस्था का नाम	प्रवेश लेने की तिथि तथा वर्ष	कक्षा जिसमें प्रवेश लिया गया	विद्यालय रिकार्ड के अनुसार जन्म तिथि
क)
ख)
ग)
घ)

- प्रार्थी किस आधार पर जन्मतिथि में संशोधन करवाना चाहता है
- बोर्ड कार्यालय के रिकार्ड अनुसार जन्मतिथि
- जन्मतिथि जिसका प्रार्थी दावा करता है
- बोर्ड शुल्क रसीद/डिमांड ड्राफ्ट संख्या तिथि राशि
- जन्मतिथि में गलती किसने तथा कैसे पकड़ी
- गलती कब पकड़ी गई
- जन्मतिथि में गलती के कारण का पूर्ण विवरण अवश्य लिखें
- क्या आप किसी सेवा में नियुक्त हैं यदि हैं तो कार्यालय का पूरा पता लिखें
- साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज
क)
ख)
ग)
- दूरभाष न.

हस्ताक्षर

प्रार्थी का पूरा पता

दिनांक

पिन कोड.....

विद्यालय में दाखिला तथा खारिज रजिस्टर अनुसार जन्मतिथि है।

मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका/प्रधानाचार्य
मैट्रिक/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी विद्यालय
(मोहर सहित)

हस्ताक्षर
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
(मोहर सहित)

(यह आवेदन पत्र इस बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त उस संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें प्रार्थी ने सबसे अन्त में अध्ययन किया हो, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की उन्हें आवेदन पत्र किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित करवाकर भेजना चाहिए)

जन्म तिथि में संशोधन से सम्बन्धित नियम

1. जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जन्मतिथि में विद्यालय के स्तर पर कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन विद्यालय के रिकार्ड/प्रथम श्रेणी में प्रवेश के समय दिखाई गई जन्मतिथि के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक करवाया जा सकता है। यदि परीक्षार्थी ने मिडल/सैकेण्डरी परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी/अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से पास की है तो उसी आधार पर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि में संशोधन पांच वर्ष तक किया जाएगा।

जन्मतिथि शुद्धि शुल्क

300/- रुपये प्रति प्रमाण-पत्र

नोट :

1. जन्मतिथि में संशोधन का शुल्क किसी भी अवस्था में वापिस नहीं किया जाएगा।
2. उपरोक्त शुल्क केवल एक ही परीक्षा के प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए है जो परीक्षार्थी मिडल/मैट्रिक/सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी तीनों प्रमाण-पत्रों में संशोधन के लिए आवेदन करेगा उसे तीनों प्रमाण-पत्रों के लिए अलग-अलग शुल्क देना होगा।
3. संशोधित प्रमाण-पत्र हेतु 500/- रुपये प्रति प्रमाण-पत्र शुल्क एवं 300/- रुपये प्रति शुद्धि शुल्क अथवा अधिकतम 1100/- रुपये शुल्क प्रति प्रमाण-पत्र होगा। (एक से अधिक त्रुटि के लिए)
4. जन्म तिथि में संशोधन की सुविधा केवल उसी स्थिति में ही दी जाएगी, जब सम्बन्धित रिकार्ड सम्बन्धित विद्यालय/परीक्षार्थी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध करवाया जायेगा।
5. यदि कोई परीक्षार्थी किसी त्रुटि का उत्तर/हल न करवाने या सम्बन्धित विद्यालय का रिकार्ड प्रस्तुत करने में एक वर्ष तक असमर्थ होता है तो उस केस को फाईल कर दिया जायेगा। एक वर्ष बाद केस रिआपन करवाने पर शुल्क व आवेदन फार्म पुनः जमा करवाना होगा। (बोर्ड बैठक दिनांक 07/02/2004 अनुच्छेद संख्या 22)

जन्मतिथि में संशोधन

1. साधारणतया जन्मतिथि में संशोधन की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जायेगी यदि जन्म तिथि में विद्यालय के स्तर पर कोई गलती एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में उतारते समय लेखनी सम्बन्धी रही हो। इस अभिप्रायः के लिए कार्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय जहां प्रार्थी ने सबसे पहले प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया था, का सबसे प्रथम उपलब्ध रिकार्ड और यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो सर्वप्रथम विद्यालय रिकार्ड जो उपलब्ध हो, मंगवायेगा। इसके अतिरिक्त मैट्रिक/सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले प्रार्थी द्वारा प्रवेश लिए गए सभी विद्यालयों का रिकार्ड भी मंगवाया जाएगा अर्थात् दाखिला तथा खारिज रजिस्टर, मूल विद्यालय त्याग-पत्र और मूल प्रवेश-पत्र जो प्रार्थी के प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश के समय, उसके पिता/संरक्षक द्वारा भरे गए थे।
2. विद्यालय सम्बन्धी सभी दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत किये जायंग जो कि परीक्षार्थी/विद्यालय अपने दायित्व पर प्रस्तुत करवायेगा।
3. उन केसों में जहां प्रार्थी/विद्यालय प्रधान जाली या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करता है, ऐसे केसों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जन्मतिथि की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात सहायक सचिव (प्रमाण-पत्र) पुराने प्रमाण-पत्र के स्थान पर संशोधित जन्मतिथि के साथ नया प्रमाण-पत्र जारी करेंगे तथा पुराना प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
5. उपयुक्त के अतिरिक्त यदि किसी विशेष प्रकृति का मामला होगा तो उस पर बोर्ड सचिव द्वारा प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

Board of School Education, Bhiwani

Application form for correction in Date of Birth

(Before filling the form please go through the instructions given over-leaf.)

- 1- No form will be accepted without payment of requisite fee decided by the Board.
- 2- Middle/Matric/Secondary/Sr. Secondary certificate in original should be attached with this form.

1. Name
2. Male/Female
3. Father's name
4. Details of Middle/Matric/Secondary/Sr. Secondary Exam:
Middle Roll No.: Year & Session:
Matric/Secondary Roll No. Year & Session:
Sr. Secondary Roll No. Year & Session:
5. Name of the Institute through which student took admission/enrolled for Middle/Matric/Secondary/Sr. Secondary Exam.
6. Name of first attended school
7. Date and year of admission in school mentioned in column no. 6. a) Date.....
b) year
8. Name of the Colleges/institutions in which a student got admission before matriculation exam.
Name of Institute/ Year and date of Class in which DOB according to
College admission admission was taken school record
a)
b)
c)
d)
9. On what basis applicant wants correction in DOB?
10. DOB according to Board office record.
11. DOB claimed by the applicant
12. Board's Fee receipt/Demand Draft No.DateAmount.....
13. Who found out the mistake and how?
14. When was the mistake found?
15. The reason of mistake in DOB
16. Are you in service? If yes, please give detailed address of the office.
.....
17. Documents attached as proof a)
b)
c)
18. Contact No.

Signature of Applicant

Complete address

Date.

Pin Code:

Date of Birth according to admission withdrawal register is

Headmaster/Headmistress/Principal
Matric/Sr. Sec. school
(with Stamp)

Signature
First Class Magistrate
(with Stamp)

(This application form must be produced after the attestation of the head of that recognized institute, where the candidate studied last. Those who did not get education in any recognized school, must send application attested by First Class Magistrate.)

Rules for Correction in Date of Birth

1. There is no provision of any type for a change in Date of Birth. If there is any mistake at school level, correction in that DOB can be done according to school record/admission in first class within one year of the date of issue of certificate from the school. If a candidate has passed Middle/Secondary class from Board of School Education, Haryana/other state recognized Board, on that basis correction can be done in Secondary/Sr. Secondary certificate within a span of five years.

Date of birth correction Fee Rs. 300/- per certificate

Note:

- i. Fee for the correction paid once will not be returned in any case.
- ii. The above fee is only for the correction in date of birth in one certificate only. The student who applies for correction in the certificates of Middle/Matric/Secondary/Sr. Secondary, he will have to pay separate fee for all the certificates.
- iii. For a correction certificate, Certificate fee Rs. 500/- + 300/- per correction or maximum of Rs. 1100/- will be charged for more than one correction.
- iv. The Facility of correction in Date of Birth certificate will be given only in that case when the related record will be made available to the concerned department by the candidate/school.
- v. If any candidate is not able to get the correction in the mistake or to produce the related record within one year, that case will be filed in record. After one year the candidate will have to deposit the fee and apply again for the re-opening of the case (Board meeting dated 07/02/2004)

Correction in Date of Birth

1. Generally, permission for correction in Date of Birth will be given only in case if there is any mistake in DOB at school level while transferring (writing) the record from one register to another register. For this work Board's office will demand the complete available record or if it is not available, record from the affiliated school will be sought where the candidate took first admission in first class. Other than this Board office will also demand record of all the schools where he took admission before passing Matric/Secondary, Senior Secondary exam. i.e. admission and withdrawal register, original school leaving certificate and original admission forms which were filled by the father/guardian of the candidate while taking admission in every school.
2. All the documents related to school will be produced in original which the candidate will produce at his own responsibility.
3. In case the candidate produces wrong or fake documents, such case will be cancelled immediately.
4. After the acceptance given by the authorized officer, Assistant Secretary (Certificate) will issue a new certificate with corrected DOB in lieu of old certificate.
5. Other than the above stated conditions, if the matter will be of some special case/nature that will be considered by the Secretary of the Board on the basis of Pros and cone.